भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1279
(03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत दूरस्थ एवं पहाड़ी क्षेत्र

1279. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-IV) के तहत बनाई गई सड़कों का किलोमीटर में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पीएमजीएसवाई-IV के तहत सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ग) विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण सड़क संपर्क में उच्च कमी वाले राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) क्या पर्वतीय क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों के निर्माण से पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत एक नया घटक जिसे पीएमजीएसवाई-IV कहा जाता है हाल ही में शुरु किया गया है और इसका उद्देश्य वर्ष 2011 की

जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (आदिवासी अनुसूची-V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) में 250 से अधिक आबादी और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100 से अधिक आबादी वाली सड़क संपर्क रहित बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करना है। यह योजना वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 70,125 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ लागू की जाएगी जिसका लक्ष्य 25,000 सड़क संपर्क रहित बसावटों को संपर्कता प्रदान करना है।

वर्तमान में बसावटों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है और पीएमजीएसवाई I V के अंतर्गत कोई निधि जारी नहीं की गई है।

(घ): पीएमजीएसवाई सड़कें संपर्क वहीन बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने वाली कम यातायात की सड़कें हैं जो इन बसावटों को कई लाभों और सेवाओं के वितरण की सुविधा प्रदान करती हैं। इनका निर्माण, स्थल की आवश्यकताओं के अनुसार और हिल रोड मैनुअल (आईआरसी: एसपी: 48-1998) और अन्य प्रासंगिक भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) कोड का पालन करते हुए क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और पारिस्थितिक प्रभाव को कम करने के लिए इन सड़कों के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकियों का प्रयोग और एवेन्यू पौधारोपण के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

******